

दिनांक : 07.04.2022,

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर उभय पक्ष मय विद्वान अधिवक्ता अनुपस्थित है। बार-बार पुकार के बावजूद पक्षों की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत प्रकीर्ण सिविल अपील की पत्रावली माननीय जनपद न्यायाधीश, चन्दौली द्वारा पारित आदेश के आलोक में दिनांक 09.12.2021 को स्थानान्तरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुई है। पत्रावली के प्राप्त होने के उपरान्त से नियत चार तिथियों पर उभय पक्ष की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया और न ही कोई स्थगन प्रार्थना-पत्र ही दिया जा रहा है। अतः पक्षों की अनुपस्थिति के कारण प्रश्नगत प्रकीर्ण सिविल अपील खारिज किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार संचित अभिलेखागार हो।

अपर जनपद न्यायाधीश  
न्यायालय संख्या-1, चन्दौली।